लाइट बंद करने से नहीं पड़ेगा बिजली आपूर्ति पर असर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- मोदी की अपील पर आज रात नौ मिनट के लिए लाइट ऑफ करेंगे भारतीय
- सरकार का आश्वासन - ग्रिड की व्यवस्था है चौक-चौबंद

केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरे देश में रविवार की रात नौ बजे नौ मिनट के लिए सिर्फ घरों की लाइट बंद होने से देश में बिजली आपूर्ति को लेकर कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। पीएम की तरफ से इस बारे में अपील किए जाने के बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कुछ नेताओं के अलावा कुछ विद्युत इंजीनियरों ने आशंका जताई थी कि नौ मिनट बिजली की खपत अचानक एकदम घट जाने से ग्रिड के फेल होने का खतरा है। वैसे पीएम की अपील के बाद कई राज्य सरकारों की तरफ से भी किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई थी कि अगर बिजली की आपूर्ति अचानक बाधित हो जाती है तो किस तरह से काम चलाया जाएगा। स्वयं बिजली मंत्री आरके सिंह ने शुक्रवार को इस बारे में समीक्षा बैठक की थी।

सरकार की तरफ से बताया गया है कि जनता को सिर्फ अपने घर की लाइट बंद करनी है। बिजली से चलने वाले घर के बाकी उपकरण जैसे फ्रिज, टीवी आदि को बंद नहीं करना है। साथ ही अस्पतालों या अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराने वाली जगहों पर लाइट भी बंद नहीं की जाएगी। स्थानीय निकायों को भी कहा गया है कि वे स्ट्रीट लाइटों को बंद नहीं करें। बिजली मंत्रालय के मुताबिक देश का ग्रिड सिस्टम बहुत ही मजबूत है, जो बिजली की मांग में आने वाली थोड़ी बहुत कमी को आसानी से सहन कर सकता है। देश में बिजली की मांग में कमी या वृद्धि का संतुलन बनाए रखने की उचित व्यवस्था है।

बिजली ग्रिड का प्रबंधन करने वाली एजेंसी पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्प लिमिटेड भी हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। एजेंसी की तरफ से बताया गया है कि घरेलू स्तर पर रोशनी के लिए पूरे देश में 12 से 13 हजार मेगावाट बिजली की खपत होती है। दो से तीन मिनट में 12-13 हजार मेगावाट मांग में अचानक कमी और फिर नौ मिनट बाद अचानक इतनी ही मांग बढ़ जाना असामान्य स्थिति है। ऐसे में हाइड्रो व गैस आधारित बिजली स्त्रोतों की मदद से किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सकता है। इसकी तैयारी भी का जा रही है। एजेंसी इस हालात के लिए कुछ ताप बिजली परियोजनाओं को पहले बंद करने और कुछ पनबिजली परियोजनाओं को उसी हिसाब से स्टार्ट करने की तैयारी में है। दरअसल, ताप बिजली परियोजनाओं को बंद करने और स्टार्ट करने में ज्यादा समय लगता है। राज्य आधारित डिस्पैच सेंटर को भी रविवार रात नौ बजे के हिसाब से लोड शेडिंग करने को कहा गया है। केंद्रीय बिजली सचिव संजीव नंदन सहाय ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि बिजली की मांग में आने वाले बदलाव के मद्देनजर ग्रिड प्रबंधन बनाए रखने की पूरी व्यवस्था की गई है। लोगों को बेवजह परेशान नहीं होना चाहिए।

राज्यों को और आर्थिक सहायता दे केंद्र : कांग्रेस

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि कोरोना संकट से निपटने के लिए राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए और उन्हें जीएसटी के बकाये का भुगतान भी किया जाए। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकारों एवं राजनीतिक दलों को साथ ले और आम सहमति बनाए। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में राज्य सरकारें अग्रिम पंक्ति में खड़ी हैं। इस संदर्भ में नीति एवं निर्णयों का क्रियान्वयन उनके द्वारा किया जा रहा है। हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि राज्य सरकारों को इस लड़ाई में और मजबूत बनाया जाए।

सुप्रिया ने कहा कि राज्य सरकारों के पास धन और संसाधन की कमी है। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कोरोना आर्थिक पैकेज की घोषणा करे।

उन्होंने केंद्र से यह आग्रह भी किया कि राज्यों को जीएसटी के बकाये का 42 हजार करोड़ रुपये तत्काल जारी किया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राज्यों के पास कर्ज देने की क्षमता बहुत सीमित है। रिजर्व बैंक राज्य सरकारों के लिए ऐसी व्यवस्था करे, ताकि उन्हें कम दर अथवा शून्य प्रतिशत की ब्याज पर कर्ज मिल सके। उन्होंने आग्रह किया कि इस लड़ाई को कोई सरकार या दल अकेले नहीं लड़ सकता। केंद्र सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकारों एवं राजनीतिक दलों को साथ ले और आम सहमति बनाए।

ताली बजवाने और दीये जलवाने से समस्या हल नहीं होगी : राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत में कोरोना की पर्याप्त जांच नहीं हो रही है। ऐसे में लोगों से तालियां बजवाने एवं दीये जलवाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। गांधी ने दुनिया के कई प्रमुख देशों और भारत में कोरोना की जांच के आंकड़े से जुड़ा एक ग्राफ साझा करते हुए ट्वीट किया, भारत कोविड-19 से लड़ने के लिए पर्याप्त जांच नहीं कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिए बगैर तंज कसते हुए कहा कि लोगों से ताली बजवाने और दीये जलवाने से समस्या हल नहीं होगी।

राहुल गांधी। फाइल

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तेजी से हो रही है ऑनलाइन सुनवाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर हाई कोर्ट ने भी कोरोना वायरस संकट के काल में अति आवश्यक मामलों की सुनवाई का काम जारी रखा है। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जेके माहेश्वरी ने पिछले तीन-चार दिनों में ही लगभग चार दर्जन ऐसे मामलों को पंजीकृत करने का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश माहेश्वरी ने आंध्र प्रदेश की निचली अदालतों को भी आदेश दिया है कि अति आवश्यक मामलों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करें।

सुनवाई की पूरी प्रक्रिया जूम साफ्टवेयर के जरिए होती है। सभी जस्टिस, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, संबंधित वकील अपने-अपने घरों से ही इस साफ्टवेयर के जरिये जुड़ते हैं और सुनवाई के बाद आदेश अपलोड कर दिया जाता है। आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन सुनवाई की प्रक्रिया 31 मार्च से की गई है और अब तक कुल 46 मामले सुनवाई के लिए पंजीकृत हुए हैं। बता दें कि कोरोना वायरस के कारण सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई हो चुकी है।

कोरोना को रोकने के लिए कंटेनमेंट प्लान तैयार

योजना ▶ हॉटस्पॉट वाले इलाकों को पूरी तरह से कर दिया जाएगा लॉक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की संख्या और उनके हॉटस्पॉट की पहचान के बाद सरकार ने वायरस को उन्हीं इलाकों तक सीमित रखने के लिए कंटेनमेंट प्लान तैयार कर लिया है। हॉटस्पॉट वाले इलाके में कोरोना वायरस के और फैलने की स्थिति में कंटेनमेंट प्लान लागू किया जाएगा। प्लान में विस्तार से बताया गया है कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए किन-किन उपायों की जरूरत होगी और किस-किस की क्या भूमिका होगी।

शनिवार को जारी कंटेनमेंट प्लान के अनुसार, कोरोना वायरस के स्वाइन फ्लू के एच1एन1 वायरस की तरह कुछ इलाकों में आउटब्रेक होने की आशंका है। वहीं, देश के अधिकांश हिस्से इससे बचे रहेंगे। ऐसे में इस वायरस को उसी इलाके तक सीमित रखने का काम युद्धस्तर पर करना होगा। इसमें जरा भी चूक से वायरस दूसरे इलाके में तबाही मचा सकता है। सरकार को आशंका है कि कोरोना वायरस के आउटब्रेक की संभावना शहरों के घनी आबादी वाले इलाकों में ज्यादा और खुले ग्रामीण इलाके में कम है।

कोरोना आउटब्रेक की स्थिति में तैयारियों की रूपरेखा बताते हुए कंटेनमेंट प्लान में कहा गया है कि इससे पीड़ित 81 फीसद मरीजों में सामान्य रूप से बीमारी के लक्षण होते हैं। केवल 14 फीसद मरीजों को अस्पताल में रखने की जरूरत होगी और केवल पांच फीसद ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें वेंटिलेटर जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखना होगा।

जाहिर है कि सामान्य रूप से बीमार लोगों को अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनके लिए कोरोना के लिए बने विशेष अस्पतालों के पास ही निगरानी में रखे जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए होटल, गेस्ट हाउस से लेकर मौजूदा क्वारंटाइन सेंटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना के लिए बने विशेष अस्पताल में केवल उन्हीं मरीजों को रखा जाएगा जिनकी स्थिति गंभीर हो। स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर इस्तेमाल के लिए यह जरूरी है।

कंटेनमेंट प्लान का सबसे अहम हिस्सा ऐसे इलाके को पूरी तरह अलग-थलग रखने का है। इसके अनुसार ऐसे इलाके से किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सारे रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। जरूरी सेवाओं के लिए हर आने-जाने वाले की विस्तृत जानकारी रखी जाएगी और उसके बारे में लगातार अधिकारियों को अपडेट किया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में चलने वाले कंटेनमेंट प्लान में लोगों में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग अभियान चलाया जाएगा और कोरोना के हर पॉजिटिव को तत्काल अलग-थलग किया जाएगा। वहीं, आम लोगों को वायरस से बचाने के लिए व्यापक और सघन प्रचार अभियान चलाया जाएगा ताकि जो लोग इससे बचे होंगे, उन्हें वायरस से बचाया जा सके। आउटब्रेक वाले इलाके में सांस और जुकाम से ग्रसित हर व्यक्ति की कोरोना जांच कराकर इसके वायरस की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही उन लोगों की भी सैंपल टेस्टिंग की जाएगी जिनमें कोरोना के लक्षण सामने नहीं आए हैं। ताकि पता लगाया जा सके कि कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से ग्रसित तो हुए, लेकिन वह उन्हें प्रभावित नहीं कर सका।

बफर जोन पर भी रहेगी चौकस नजर : कंटेनमेंट प्लान में चिह्नित किए गए इलाके के चारों ओर एक बफर जोन की पहचान किए जाने का भी प्रावधान है। इस बफर जोन में कोरोना वायरस के लक्षण वाले मरीजों पर खास ध्यान रखा जाएगा। ताकि किसी तरह यदि कंटेनमेंट वाले इलाके से वायरस बाहर निकलने में सफल भी हो जाए तो इसे बफर जोन में ही रोका जा सके।

मनरेगा मजदूरों को लॉकडाउन अवधि के लिए पूरा पैसा मिले

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सरकार और प्राधिकरणों को यह निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि वो मनरेगा योजना के तहत काम करने वाले लोगों को लॉकडाउन अवधि के लिए पूरी मजदूरी दें। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 25 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी।

मजदूर किसान शक्ति संगठन की तरफ से यह याचिका दायर की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) योजना के तहत सात करोड़ मजदूर पंजीकृत हैं। याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान अन्य कर्मचारियों की तरफ इन्हें भी काम पर माना जाए। इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय को राज्यों को यह निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान वो मनरेगा मजदूरों को जो कुछ भी संभव है वो काम करने की अनुमति दें। मनरेगा मजदूरों को संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 के तहत मिले स्वास्थ और जीविका के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई है।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये विपक्ष से भी बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संवाद

- आठ अप्रैल को होगी संसद के फ्लोर लीडर से चर्चा
- राजनीतिक एकजुटता, लॉकडाउन की अवधि आदि पर हो सकती है बात

कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन और प्रधानमंत्री के संबोधनों की आलोचना कर रहे विपक्षी दलों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। आठ अप्रैल को वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उन सभी दलों के नेताओं से बात करेंगे जिनकी संसद में कम से कम संख्या पांच है। जाहिर है कि विपक्षी नेताओं से चर्चा के जरिये राजनीतिक एकजुटता दर्शाने की कोशिश होगी। लॉकडाउन लागू होने के बाद विपक्षी नेताओं से प्रधानमंत्री का यह पहला संवाद होगा।

यूं तो सभी राज्य केंद्र के साथ ताल से ताल मिलाकर कोरोना से जंग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस समेत कुछ दल लॉकडाउन की आलोचना भी कर रहे हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने देश की एकजुटता के लिए गरीबों के नाम हर किसी से एक दिया जलाने का आह्वान किया तो विपक्षी दलों की ओर से घोर विरोध हुआ। कुछ ने इसका उपहास भी उड़ाया। ऐसे में आठ अप्रैल की सुबह 11 बजे होने वाली चर्चा का खास महत्व है। दरअसल, यह वह अवसर होगा जब प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता आमने-सामने होंगे। प्रधानमंत्री सभी राज्यों के साथ समन्वय के लिए मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर चुके हैं। पिछले तीन-चार दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या जरूर तेजी से बढ़ी है, लेकिन भारत अभी भी दूसरे कई देशों से बेहतर स्थिति में दिख रहा है और इसका एक बड़ा कारण लॉकडाउन को माना जा रहा है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह चर्चा लॉकडाउन की अंतिम तिथि 14 अप्रैल से एक सप्ताह पहले होगी और तब तक कई स्थितियां साफ हो सकती हैं। वहीं, विपक्षी नेताओं की ओर से लॉकडाउन अवधि बढ़ाने आदि पर सवाल पूछे जा सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सिर्फ उन्हीं दलों के फ्लोर नेताओं को चर्चा के लिए बुलाया गया है जिनकी संख्या कम से कम पांच है। नियमानुसार उसी पार्टी को संसद में दल की संज्ञा मिलती है जिनके दोनों सदनों में मिलाकर कम से कम पांच सदस्य हों। बैठक के लिए कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद और तृणमूल कांग्रेस, बसपा, द्रमुक, बीजद, तेलंगाना राष्ट्र समिति व अन्य पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। राजग के विभिन्न दलों के नेता भी बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी इसमें शामिल होने की संभावना है।

तृणमूल नहीं लेगी हिस्सा : तृणमूल कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि उसके नेता डेरेक ओ ब्रायन और सुदीप बंधोपाध्याय के इस बैठक में हिस्सा लेने की संभावना नहीं है। तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी कोविड-19 पर संसद में चर्चा और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करती रही है, लेकिन बैठक कभी नहीं बुलाई गई।

मंगलवार को कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे पीएम

कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक वीडियो कांफ्रेंस से होगी। देश के इतिहास में संभवत: यह पहली बार है जब मंत्रिपरिषद की बैठक वीडियो कांफ्रेंस से होगी। इसके अलावा लॉकडाउन अमल में आने के बाद मंत्रिपरिषद की यह पहली बैठक होगी। इसके बाद मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी और उसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ की बैठक

नई दिल्ली, प्रेट्र : उच्चतम न्यायालय ई-समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने अत्यावश्यक मामलों की जल्द सुनवाई करने के लिए उच्च न्यायालयों की ई-समिति के अध्यक्ष न्यायाधीशों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इसका मकसद था कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को अदालत न आना पड़े। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने शुक्रवार की बैठक में 'संकट के इस समय में' तत्परता से कदम उठाने पर जोर दिया।

डॉ. डीवाई चंद्रचूड़। फाइल

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्थिति सामान्य होने पर भी इस प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को संस्थागत बनाया जाना चाहिए। समिति ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही अदालत की कार्यवाही के सीधे प्रसारण की संभावनाओं पर भी चर्चा की। हालांकि, तकनीकी मुद्दों के आकलन के बाद महसूस किया गया कि कार्यवाही की रिकॉर्डिंग अगले दिन अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए, ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। समिति ने कहा कि बेहतर होता कि न्यायिक अधिकारी और वकील अपने घरों से काम करते। लेकिन, इसकी व्यावहारिकता के बारे में निर्णय उच्च न्यायालयों पर छोड़ दिया गया। इस बैठक में कंप्यूटर समितियों की अध्यक्षता कर रहे 23 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने हिस्सा लिया। इन समितियों के अध्यक्ष न्यायाधीशों ने इस चुनौती का सामना करने में अपने-अपने दृष्टिकोण और समस्याओं को साझा किया। न्यायाधीशों ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के इस सुझाव से सहमति व्यक्त की कि इस प्रौद्योगिकी को संस्थागत करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने न्यायाधीशों को भरोसा दिलाया कि ई-समिति धन और सॉफ्टवेयर की मांग पूरी करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर न्याय विभाग को इससे अवगत कराएगी।

वायरस से लड़ने का साजो-समान तैयार करने में जुटीं आइआइटी

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

- देश के शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थानों में 31 प्रोजेक्ट पर युद्ध स्तर पर चल रहा काम
- आइआइटी हैदराबाद ने स्टार्टअप के साथ मिलकर पोर्टेबल वेंटीलेटर किया तैयार

कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश में गजब की एकजुटता और तालमेल देखने को मिल रही है। कोई भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता है। वैज्ञानिक संस्थानों के साथ अब तो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आइआइटी) जैसे देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थान भी इस लड़ाई में पूरी ताकत के साथ कूद पड़े हैं। वेंटीलेटर की कमी की बात आई, तो इन संस्थानों ने रातों-रात ऐसा पोर्टेबल इमरजेंसी वेंटीलेटर भी तैयार कर दिया है, जिसे बिजली न होने पर बैटरी से भी संचालित किया जा सकेगा।

कोरोना जैसी महामारी से देश को सुरक्षित रखने का जुनून इन संस्थानों पर हावी है। मौजूदा समय में देश की सभी 23 आइआइटी में कोरोना से लड़ने के लिए अलग-अलग करीब 31 प्रोजेक्ट पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इनमें से कइयों को सफलता भी मिल चुकी है। आइआइटी हैदराबाद और उससे जुड़े स्टार्टअप ने एक ऐसा पोर्टेबल वेंटीलेटर तैयार किया है, जिसका संचालन बिजली के साथ-साथ बैटरी से भी हो सकेगा। ऐसे में यह दूर दराज के क्षेत्रों के लिए काफी लाभकारी माना जा रहा है। इसके साथ ही इसका संचालन एक मोबाइल एप के जरिए भी किया जा सकता है। आइआइटी हैदराबाद के निदेशक प्रोफेसर बीएस मूर्ति का दावा है कि उन्होंने जिस स्टार्टअप के साथ मिलकर इसे तैयार किया है, वह फिलहाल हर दिन 50 से 70 वेंटीलेटर तैयार कर सकता है। हालांकि इसे अभी सर्टिफिकेशन के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के पास भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही इसकी आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा आइआइटी दिल्ली सहित कई संस्थानों में अलग-अलग तरीके के मास्क को लेकर भी काम हुआ है। इनमें जल्द ही कुछ बाजार में आने वाले है। इसके साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) तैयार करने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा आइआइटी में टेस्टिंग किट, चिकित्सकीय उपकरण, रोबोट, फार्माकोलोजिकल, डाटा एनालिटिक्स आदि विषयों पर भी काम हो रहा है। बता दें कि देश की लगभग सभी प्रमुख आइआइटी के पास मौजूदा समय में एक स्टार्टअप सेंटर भी है।

आइआइटी दिल्ली। फाइल

'आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करें'

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोविड-19 के खतरों से निपटने संबंधी विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों की योजना एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गठित अधिकार प्राप्त समूहों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को मास्क, दस्ताने, वेंटीलेटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

- अधिकार प्राप्त समूहों की संयुक्त बैठक में पीएम मोदी ने दिए निर्देश
- लॉकडाउन के बाद मुश्किलें कम करने के लिए 11 समूहों का किया गया था गठन

प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में अस्पतालों की उपलब्धता, अलग-थलग रखने की सुविधा के साथ बीमारी की निगरानी, जांच एवं देखरेख प्रशिक्षण जैसे विषयों एवं तैयारियों की भी समीक्षा की। मोदी ने संबंधित समूहों और अधिकारियों से मास्क, दस्ताने, वेंटीलेटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन, खरीद और उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सरकार ने पिछले रविवार को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और लॉकडाउन के बाद जल्द से जल्द लोगों की मुश्किलें कम करने के उपाय सुझाने के लिए 11 अधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया था।

केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक इन समूहों को समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उनका प्रभावी समाधान सुझाने, नीति बनाने, योजनाएं बनाने और संबंधित क्षेत्रों के लिए रणनीतिक अभियान तैयार करने और उनके प्रभावी व समयबद्ध अमल के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के अधिकार दिए गए हैं। इन 11 अधिकार प्राप्त समूहों में से नौ की अध्यक्षता सचिव स्तर के अधिकारी, एक की नीति आयोग के सदस्य और एक की अध्यक्षता नीति आयोग के सीईओ कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोक लिया जाएगा।

बड़ा कदम

मानव संसाधन विकास मंत्री ने इग्नू वीसी की अगुआई में कमेटी गठित करने का किया एलान, सभी केंद्रीय विवि के कुलपतियों के साथ कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर की चर्चा

शिक्षा के साथ अब ऑनलाइन परीक्षा की भी तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन की जो स्थिति है, उसे देखते हुए सरकार ने छात्रों को घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाने के साथ ही अब ऑनलाइन परीक्षा कराने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को इसको लेकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के कुलपति की अगुआई में एक कमेटी गठित करने का एलान किया। उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा और ऑनलाइन परीक्षा कराने से जुड़े सुझाव जल्द देने को कहा।

निशंक शनिवार को देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोरोना से जुड़ी तैयारियों को लेकर बात कर रहे थे। उन्होंने कोरोना के चलते नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने में देरी को देखते हुए सभी कुलपतियों से छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कराने का निर्देश दिया। साथ ही यूजीसी की अगुआई में एक नया एकेडमिक कैलेंडर तैयार करने का भी सुझाव दिया, जिसमें कम समय में कोर्स पूरा कराया जा सके, ताकि सत्र में विलंब न हो। उन्होंने इसे लेकर यूजीसी की अगुआई में एक कमेटी गठित करने का भी निर्देश दिया।

इस बीच, उन्होंने सभी विवि से कोरोना के किसी भी संदिग्ध की तुरंत जांच कराने का भी निर्देश दिया है। इस बीच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने अपने यहां कोरोना से निपटने के लिए 40 बिस्तरों वाले क्वारंटाइन कक्षों को तैयार करने की भी जानकारी दी। हालांकि, इस पर केंद्रीय मंत्री ने दोनों संस्थानों से अपने अस्पतालों को भी कोरोना के लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान कुलपतियों से प्रधानमंत्री के पांच अप्रैल को रात्रि नौ बजे नौ मिनट तक के लिए घरों की सभी लाइटों को बंद करके बालकनी में खड़े होकर दीया, मोमबत्ती, टार्च लाइट आदि जलाने के अनुरोध में सभी से बढ़-चढ़कर शामिल होने की अपील की। साथ ही छात्रों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने को कहा।

बीएचयू के कुलपति को फटकारा

निशंक ने कोरोना काल में अपने विश्वविद्यालय को छोड़कर दिल्ली में बैठे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो राकेश भटनागर को जमकर फटकार लगाई। दरअसल शनिवार की वीडियो कांफ्रेंसिंग में मानव संसाधन विकास मंत्री सभी कुलपतियों से अपील कर रहे थे कि छात्रावासों में रह रहे बच्चों का ध्यान रखें। छात्रावासों में अभी रह रहे बच्चों के बारे में जानकारी ली जा रही थी कि किस राज्य के कितने बच्चे हैं और कितने विदेशी। चर्चा के दौरान निशंक अचानक ही भटनागर से पूछ बैठे कि वह अभी कहां हैं? वीसी ने बताया कि वह अभी दिल्ली में हैं। इस पर मंत्री ने फिर पूछा-कब से हैं? इस पर उन्होंने लॉकडाउन से पहले से ही दिल्ली में मौजूद होने की बात कही। इसके बाद निशंक भड़क गए। बताया जाता है कि उन्होंने कहा कि कुलपति की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे वक्त में अपने विवि में रहें।

आंध्र सरकार ने प्रत्येक बीपीएल परिवार को 1000 रुपये दिए

अमरावती, एएनआइ : आंध्र प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के प्रत्येक परिवार को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी है। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री के कार्यालय ने यह सूचना दी है। 1.3 करोड़ गरीब या जरूरतमंद एवं वंचित परिवारों को 1000 रुपये की यह राहत एक बार मुहैया कराई गई है।

राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता बांटने के लिए शनिवार को ग्राम/वार्ड स्वयंसेवकों को तैनात किया। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि किसी परिवार को शनिवार को यह वित्तीय मदद नहीं मिल पाती है तो उसे रविवार को मुहैया करा दी जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक मदद मुहैया करा रही है कि किसी भी नागरिक को भोजन और पानी से नहीं जूझना पड़े। परीक्षा की इस घड़ी में आर्थिक मदद का लक्ष्य गरीबों और जरूरतमंदों को समर्थ बनाना है।

कह के रहेंगे माधव जोशी